

सिद्ध  
21/11/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
प्रेमादेव पुत्र जयप्रकाश शर्मा - सम्बत - 2075	ना म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 290 / 2021 GCMS No. 2021/1067

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

03/12/2021

वादी श्री प्रेमादेव पुत्र जयप्रकाश  
जाति शर्मा-शर्मा निवासी प्रेमपुर द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत प्रेमपुर में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्बत 2075-2078 ग्राम प्रेमपुर पटवार मण्डल शिव के खाता नम्बर 15 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि

प्रेमादेव पुत्र जयप्रकाश दर्ज है, जो अशुद्ध है।  
वादी का शुद्ध नाम प्रेमादेव शर्मा जयप्रकाश

है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 4172 9555 1780

मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज 4 शर्मा-पुत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी भू.अ.नि एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तार हो।

1175-1177



उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (नागौर)